

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-8/मुक०न्यास वि०रा०धा०प०कर्म०संघ-02-13/2012-..... (8)/रा०, पटना-15, दि०- / /2017
अनुमोदन हेतु प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय - सी०डब्लू०जे०सी० सं०-4652/2002 बिहार राज्य धार्मिक परिषद् कर्मचारी संघ एवं अन्य वनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.01.2012 एवं दिनांक-19.09.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् से निबंधित/अनिबंधित सम्बन्धित धार्मिक संस्थानों (मठ, मठिया, मंदिर इत्यादि) से सम्बन्धित भूमि जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्जित की गई है, के मुआवजा मुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6,91,178=00 (छः लाख इकानब्बे हजार एक सौ अठत्तर) रू० मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

निम्नलिखित जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर कुल 6,91,178=00 (छः लाख इकानब्बे हजार एक सौ अठत्तर) रू० मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०	जिला का नाम	अधियाचना सं० एवं तिथि	जिलों द्वारा अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	खगड़िया	974/राजस्व दि०-30.08.16	107208.00	107208.00
2	सीतामढ़ी	116/मु०/रा० दि०-14.12.16	298796.00	298796.00
3	मधेपुरा	824-2/रा० दि०-27.12.16	285174.00	285174.00
कुल:-				691178.00

(छः लाख इकानब्बे हजार एक सौ अठत्तर)

- अधियाचित राशि के 50 पैसे से कम/अधिक राशि को एक रुपये के पूर्णांक में परिगणित कर तदनुरूप स्वीकृत राशि अंकित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार भूमि सुधार अवशेष अर्जित भूमि के विरुद्ध मुआवजा मद में व्यय हेतु रू० 10,00,000=00 (दस लाख) मात्र तृतीय अनुपूरक से बजट उपबन्ध प्राप्त है।
- उक्त स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष 2506 भूमि सुधार, उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-101 जोतों और काश्तकारी का विनियमन, उप शीर्ष-0002 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्जित अवशेष भूमि के विरुद्ध मुआवजा माँग संख्या-40 विपत्र कोड-N2506001010002 के विषय शीर्ष 3302 मुआवजा से विकलनीय होगी।
- राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिले के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के जिला कोषागार से की जायगी।
7. राशि का भुगतान बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायगा।
8. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय से सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना को मुआवजा भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।
9. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-8/मुक0न्यास वि0रा0धा0प0कर्म0संघ-02-13/2012-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2017
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, खगड़िया/सीतामढ़ी एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-8/मुक0न्यास वि0रा0धा0प0कर्म0संघ-02-13/2012-..... 260 (8)/रा0, पटना-15, दि0-24/03/2017
प्रतिलिपि:-सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त बिहार/सभी सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।